

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**  
**मध्यप्रदेश शासन**  
**महिला एवं बाल विकास विभाग के 17 बिन्दु मेन्युअल**

**प्रस्तावना:—**

● सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 :-  
संविधान के भाग 3 में नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है जिसके अनुच्छेद 19 (क) में अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य तथा वाक् स्वातंत्र्य का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 29 (क) नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय ने भी अनेक मामलों में यह स्पष्ट किया है कि सूचना प्राप्ति का अधिकार अपने आप में पारदर्शी एवं सक्षम शासन को चलाने के लिए आवश्यक और सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का ही अभिन्न अंग है तथा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है।

● सूचना का अधिकार का उद्देश्य :-  
नागरिकों द्वारा किसी भी लोक प्राधिकरण के स्वामित्व में मौजूद उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति जो स्वयं उनसे जुड़ी हो या प्रच्छा लोक कल्याण की भावना से प्रेरित हो। यह सूचना का रिकार्ड, फाइले, रजिस्टर्स, आकडे, रेखाचित्र, नमूने इत्यादि किसी भी रूप में हो सकती हैं। अपने सूचना के अधिकार का प्रयोग करके हम जान सकते हैं कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मिलने वाली सेवाएं कौन-कौन सी हैं, उनका लाभ कैसे और कब उठाया जा सकता है, आदि।

● उपयोगिता:- सूचना का अधिकार पुस्तिका सभी आम नागरिकों / व्यक्तियों / संस्थानों / अशासकीय संगठनों के लिए उपयोगी है क्योंकि सभी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

● **सूचना एवं शुल्क के लिये संपर्क सूत्र—**

सूचना प्राप्त करने के लिए संचालनालय महिला एवं बाल विकास में श्री आर. पी.सिंह-लोक सूचना अधिकारी एवं श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव- सहायक लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है। संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक- महिला एवं बाल विकास, जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी- महिला एवं बाल विकास, प्रशिक्षण केंद्रों पर मुख्य निर्देशक प्रशिक्षण केंद्र, परियोजना स्तर पर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सेक्टर स्तर पर पर्यवेक्षक तथा आंगनवाड़ी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क किया जा सकता है।

● सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में :-  
संचालनालय महिला एवं बाल विकास हेतु अपीलीय अधिकारी-श्रीमती राजपाल कौर, अपर संचालक, से संपर्क किया जा सकता है।

## विभाग अंतर्गत उपयोग किये जाने वाले प्रमुख शब्द—

- आईसीडीएस— एकीकृत बाल विकास सेवा योजना।
- ए.डब्ल्यू डब्ल्यू — आंगनवाडी कार्यकर्ता।
- एम.ए डब्ल्यू डब्ल्यू—उप आंगनवाडी कार्यकर्ता।
- .ए.डब्ल्यू एच —आंगनवाडी सहायिका
- ए.डब्ल्यू.सी — आंगनवाडी केंद्र।
- एम.डब्ल्यू.सी —उप आंगनवाडी केंद्र।
- एस.एन.पी —पूरक पोषण आहार।

## बिन्दु क्रमांक 01 – संगठन की विशिष्टयाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

### 1. लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :-

संचालनालय महिला एवं बाल विकास के उद्देश्य निम्नानुसार है :-

- प्रदेश की गर्भवती / धात्री महिलाओं तथा 0-6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य व पोषण सेवायें प्रदान की जाती है।
- बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना।

### 2 लोक प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग का मिशन/विजन :-

मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी संदर्भ में प्रदेश के मानव विकास प्रतिवेदन में जेन्डर विकास सूचकांक तथा बच्चों के शाला प्रवेश , शिक्षा आदि का समावेश किया जाता है ।

आजकल विकास की नवीनतम अवधारणा के अनुसार मानव विकास सूचकांक HDI विकास की गति दर्शाने वाले महत्वपूर्ण मानक हैं और विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के देशों की विकासीय स्थिति का मूल्यांकन भी इन्हीं सूचकांक के आधार पर करने लगे हैं । इन सूचकांकों में शिशु मृत्यु दर (IMR), पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (Under Five Mortality Rate) मातृ मृत्यु दर (MMR), लाईफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ, साक्षरता दर, बच्चों का पोषण स्तर इत्यादि प्रमुख है। इन सूचकांको के अनुसार हमारे देश भारत और विशेष रूप से मध्यप्रदेश की स्थिति पिछड़े स्थानों के बीच आती थी। इन बातों को देखते हुए भविष्य के नागरिकों के सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये समेकित बाल विकास सेवा योजना की संकल्पना की गई । इस परियोजना को क्रियावित करने के साथ-साथ महिला बाल विकास की नई अवधारणा, जिसमें महिला कल्याण से उपर उठकर महिला सशक्तीकरण पर केन्द्रित योजनाओं को लागू करना निहित है, का क्रियान्वयन भी विभाग की जिम्मेदारी में शामिल हुआ है ।

### **3 लोक प्राधिकरण (महिला एवं बाल विकास विभाग) का संक्षिप्त इतिहास और उसके गठन का प्रसंग:-**

मध्यप्रदेश में 15 अगस्त, 86 को महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित समस्त योजनायें आदिम जाति कल्याण विभाग और पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से इस संचालनालय को हस्तान्तरित की गई । प्रारंभ में यह संचालनालय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रहा तथा वर्ष 1988 में पृथक से महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया । वर्ष 2012 में विभाग अन्तर्गत दो संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय एवं महिला सशक्तिकरण संचालनालय का गठन किया गया । वर्ष 2018 में पुनः दोनो संचालनालयों का एकीकरण कर महिला एवं बाल विकास का गठन किया गया ।

### **4. लोक प्राधिकरण के कर्तव्य कृत्य एवं संगठन की विशिष्टिया :-**

- महिलाओं और बच्चों की जीवन रक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक विकास, के लिये योजनाएं चलाना तथा विभिन्न विकास विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- समेकित बाल विकास सेवा का संचालन ।
- महिलाओं और बच्चों के लिये शासकीय संस्थाओं का संचालन, अशासकीय संस्थाओं को अनुदान प्रदान करना ।
- महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगम का संचालन ।
- महिलाओं की सामाजिक समस्याओं के निदान लिए राज्य महिला आयोग का संचालन ।
- बच्चों की सामाजिक समस्याओं के निदान के लिये राज्य स्तरीय बाल संरक्षण आयोग का संचालन ।
- प्रदेश की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना उनकी सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जानकारी देना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना । बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना उन्हें कुपोषण से बचाना ।
- प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण, अशिक्षा, अज्ञानता से मुक्त करना एवं स्वस्थ समाज की नींव डालना ।
- प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना ।
- बच्चों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा कुपोषण से बचाना ।

- महिलाओं के संवैधानिक हितों को सुरक्षित रखना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना ।
- प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना ताकि योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुँच सकें ।

महिलाओं की स्वायत्ता एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुये उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में निरन्तर सुधार लाने हेतु राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन का समन्वयक ।

विभाग की विस्तृत जानकारी, आमजन (नागरिकों) हेतु विभाग की निम्न वेबसाईट

पर उपलब्ध है—

<http://wwwmpwcd.nic.in>,

<http://www.mpwcdnic.gov.in>

<http://www.esanchaika.mp.gov.in>

## बिन्दु क्रमांक-2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद नाम	
शक्तियाँ	<p>प्रशासकीय</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रशासकीय विभाग (महिला एवं बाल विकास विभाग) – प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों से संबंधित समस्त अधिकार।</li><li>2. आयुक्त महिला एवं बाल विकास – द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं निलंबन के अधिकार। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित समस्त अधिकार</li><li>3. संभागीय आयुक्त – प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की विभागीय जाँच तथा लघु शास्ती एवं निलंबन के अधिकार</li><li>4. कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) – सहायक ग्रेड-3 एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार,, अवकाश स्वीकृति के अधिकार।</li><li>5. संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास – जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं अधीनस्त पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के अधिकारी एवं कर्मचारियों के शासन द्वारा निर्धारित सीमा तक।</li><li>6. जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी – तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के शासन द्वारा निर्धारित सीमा तक के अवकाश स्वीकृति के अधिकार</li></ol>

## कर्तव्य

**1. आयुक्त** – महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत संचालित समस्त कार्यक्रमों, योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करना तथा योजनाओं की प्रगति की जानकारी भारत सरकार को भेजना, महिलाओं एवं बच्चों के विकास से संबंधित सूचकांकों के स्तर में सुधार के प्रयास करना। कार्यक्रमों एवं योजनाओं की शासन से प्रशासकीय अनुमति उपरांत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी करना।

**2. संभागीय संयुक्त संचालक** – विभाग की समस्त योजनाओं का संचालन करना समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन और उसका मूल्यांकन सुनिश्चित करना, आई.सी.डी.एस. की सेवाओं की क्षेत्रीय स्तर तक की पहुंच के लिये अन्य विभागों से समन्वय करना। अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वयं के कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन वृद्धि स्वीकृति सहित अन्य आदेश जारी करना। संभाग आयुक्त के मार्गदर्शन में संभाग अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग करना।

**3. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास** – विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण, प्रतिमाह का रोस्टर तैयारकर माह में कम से कम दो परियोजनाओं का निरीक्षण, आंगनवाड़ीयों का निरीक्षण, जिले में पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना, आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम की सांख्यिकी जानकारी तैयार कर मूल्यांकन करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के पदों की पूर्ति, आंगनवाड़ी के सेवाओं का लाभ सभी हितग्राहीयों को पहुंचाना निर्धारित प्रगति प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय तक पहुंचाना, विभाग की योजनाओं के संचालन हेतु अन्य विभागों से समन्वय आदि।

**4. बाल विकास परियोजना अधिकारी** – आई.सी.डी.एस. की प्रमुख कार्यकारणी के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर विभाग की समस्त योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, आंगनवाड़ी केन्द्र की गतिविधियां सुनिश्चित करना, परियोजना में सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करना, रिकार्ड का उचित रखरखाव, सभी केन्द्रों में पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर आई.सी.डी.एस.की सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कराना, सेवाओं के क्रियान्वयन में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना, वरिष्ठ कार्यालयों को प्रगति प्रतिवेदन भेजना

## अराजपत्रित

पद नाम	सहायक परियोजना अधिकारी/ सहायक सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकीय अन्वेषक)/ पर्यवेक्षक/ अधीक्षक/ सहायक वर्ग-1/ सहायकवर्ग-2/ सहायक वर्ग-3/ वाहन चालक/ भृत्य/ चौकीदार
कर्तव्य	<p>1. सहायक सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकीय अन्वेषक) – द्वारा परियोजना की क्षेत्रीय जानकारी, लक्ष्य उपलब्धी की रिपोर्टिंग एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन का संकलन कर प्रेषित करना आदि।</p> <p>2. सहायक परियोजना अधिकारियों – परियोजना अधिकारी के अधीनस्त उनके द्वारा किये जा रहे समस्त कार्यों में सहायोग प्रदान करते हैं जैसे निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं विभिन्न बैठको एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदनों संबंधित जानकारी का संकलन एवं जांच कर प्रेषित करवाना आदि</p> <p>3. पर्यवेक्षक – आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण/मानदेय का भुगतान कराना टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच आदि की जानकारी प्रस्तुत करना एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करना, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय एवं जिला स्तर पर आयोजित जिला अधिकारी के निर्देशानुसार बैठको में भाग लेना आदि।</p> <p>4. अधीक्षक/सहायक ग्रेड-1,2,3 – जिला अधिकारी के निर्देशानुसार लिपिकीय कार्य का संपादन एवं अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों को करना।</p> <p>5. वाहन चालक – जिला अधिकारी को आवंटित वाहन को निर्देशानुसार संचालन करना आदि।</p> <p>6. भृत्य/चौकीदार – अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यालयीन कार्य सुचारु रूप से संपन्न करना।</p>

### बिन्दु क्रमांक-4

## अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान-

अभिलेख का नाम – अभिलेख का प्रकार

राजपत्रित भर्ती नियम 2011 एवं समय समय पर संशोधित भर्ती नियम

### अभिलेख का संक्षिप्त परिचय

विभाग के राजपत्रित पदों यथा बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी, सहायक संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी/उप संचालक, संयुक्त संचालक एवं अपर संचालक के पदों पर पद पूर्ति हेतु पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती के प्रावधानों के बारे में इन भर्ती नियमों में उल्लेख है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

पता : संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, 28, अरेरा हिल्स, वात्सल्य भवन भोपाल

दूरभाष: 0755-2550909

फैक्स 0755-2550912

ईमेल commwcd@.nic.in

अन्य 0755-2550910

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क शासन द्वारा निर्धारित (यदि कोई हो) इसके अतिरिक्त म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 तथा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966, म.प्र. संशोधित पेंशन उप नियम-59 के उप नियम (1) तहत कार्यवाही करना। इन नियमों की प्रतियां सभी परियोजना कार्यालय एवं जिला कार्यालयों तथा संचालनालय में उपलब्ध हैं।

## अराजपत्रित

**अभिलेख का नाम** – मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यपालिक एवं अकार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम-2015

**अभिलेख का संक्षिप्त परिचय**—सहायक परियोजना अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकीय अन्वेषक)/पर्यवेक्षक एवं लिपिक वर्गीय संवर्ग आदि के भरती नियम एवं समय समय पर निकाले गये संशोधन नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त की जा सकतही है।

पता :-

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, 28 ए, वात्सल्य भवन भोपल, म0प्र0

दूरभाष:- 0755-2550909

फैक्स:- 0755 -2550912

इ.मेल:- [commwcd@nic.in](mailto:commwcd@nic.in)

अन्य:- 2550910

## बिन्दु क्रमांक-5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख:

बिन्दु क्रमांक 04 में उल्लेखित

## बिन्दु क्रमांक:-6

लोक प्राधिकारी के पास उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

क्र संख्या	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रकिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1.	नियम	पेंशन संबंधी नियम (पृष्ठ 32-33)	निर्धारित प्रकिया अनुसार	कार्यालय प्रमुख स्तर के अधिकारी
2.	नियम	अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकार (पृष्ठ क्रमांक 31)	निर्धारित प्रकिया अनुसार	कार्यालय प्रमुख स्तर के अधिकारी



टीप :- अधिकारी/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति संशोधित पेंशन नियम 59 के उप नियम(1) के अनुसार सेवा निवृत्ति की तारीख से 03 माह पूर्व कार्यालय प्रमुख प्रारूप 6 (क) तथा 6 (ख) में पेंशन पत्रों को तैयार करने का वास्तविक कार्य करेगा तथा सेवा निवृत्ति के 6 माह पूर्व अपेक्षित सेवा अभिलेख के साथ पेंशन प्राधिकृत करने वाले कार्यालय को भेजेगा।

### बिन्दु क्रमांक-7

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधियों से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

#### नीति निर्धारण हेतु-

- लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी की परामर्श भागीदारी को कोई प्रावधान नहीं है।  
नीति के कार्यान्वयन हेतु
- लोक प्राधिकरण द्वारा नीति कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी से/की परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है।

### बिन्दु क्रमांक-8

बोर्ड,परिषदों,समितियों एवं अन्य निकायों विवरण  
लोक प्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड,परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का सक्षिप्त विवरण:-

**8.1 संस्था का नाम एवं पता-मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम खण्ड 2 चतुर्थ तल, पर्यावास भवन, भोपाल।**

वेबसाइट [www.mp-mvvn.com](http://www.mp-mvvn.com)  
phone 0755-2769622, 2765501 fax no-0755-2577122

**8.2 संस्था का नाम एवं पता- मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग- श्यामला हिल्स भोपाल**

**संस्था का प्रकार - आयोग**

संस्था का सक्षिप्त परिचय - मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रथम गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च, 1998 को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा-3 के तहत किया गया।

अध्यक्ष- श्रीमती शोभा ओझा

सदस्य सचिव - श्री शिवकुमार शर्मा

विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट <http://www.esanchayika.mp.gov.in> पर प्रशासकीय प्रतिवेदन में उपलब्ध है।

**8.3 संस्था का नाम एवं पता— मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग,**  
59 नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल

बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश शासन, द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है ।

विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट <http://www.cpcr.mp.gov.in> पर उपलब्ध है

**बिन्दु क्रमांक –9**

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका  
लोक सूचना अधिकारियों के नाम,पदनाम एवं अन्य  
विशिष्टियां

**लोक प्राधिकरण का नाम—संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, म0प्र0**

**लोक सूचना अधिकारी**

क्र	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री आर.पी. सिंह. संयुक्त संचालक	संयुक्त संचालक	0755	2550922	9425014384	255-0912	commwcd@.nic.in	संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, 28 ए, वात्सल्य भवन भोपाल, म0प्र0

**सहायक लोक सूचना अधिकारी**

क	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव	उप संचालक	0755	—	9893900890	255-0912	commwcd@.nic.in	संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, 28 ए, वात्सल्य भवन भोपाल, म0प्र0

## विभागीय अपीलेंट अथोरिटी

क	नाम	पदना म	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्याल य	आवास			
1	श्रीमती राजपाल कौर	अपर संचाल क	075 5	255-0 940	9425442 601	255-0 912	commwcd@.nic.i n	संचालना लय, महिला एवं बाल विकास 28 ए, वात्सल्य भवन भोपल, म0प्र0

## क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु लोक सूचना अधिकारी की व्यवस्था

म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ज्ञाप कं-1(ए)32/2014/50-1 भोपाल दिनांक 16.09.2014 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है :-

क्रं	कार्यालय का स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	पृथम अपीलीय अधिकारी
1	संभाग स्तर	संभागीय संयुक्त संचालक	सहायक संचालक, संभागीय कार्यालय	संभागीय आयुक्त/अपर आयुक्त (राजस्व)
2	जिला स्तर	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सहायक संचालक, जिला कार्यालय	जिला कलेक्टर
3	जिला स्तर (ऑगनवाडी प्रशिक्षण केंद्र)	मुख्य निर्देशिका प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय सहायक (लिपिक)	जिला कार्यक्रम अधिकारी
4	विकास खण्ड/ परियोजना स्तर	परियोजना अधिकारी	सांख्यिकीय अन्वेषक/कार्यालय सहायक (लिपिक)	जिला कार्यक्रम अधिकारी

## महिला एवं बाल विकास

नाम	कार्यालय	निवास	पता
श्री अशोक शाह, प्रमुख सचिव,	2708829	9425016311 एफ विंग 409	डी एक्स बी-2, चार ईमली
श्री जगदीश चन्द्र जटिया, उप सचिव		9425151935 8236082360	कक्ष क्रमांक एफ- 403
श्री .....उप सचिव	2514132	9630089546	
अनुभाग अधिकारी, मंत्रालय	2708000+41 04, 4122 9425030635	2512126	
श्री एल.डी. सांवनेर, स्टाफ आफीसर		9893292410	
श्री दीपक कुमार सक्सेना, निज सचिव		9340817202 9755416857	

### संचालनालय महिला एवं बाल विकास

नाम	पी.बी. एक्स	कार्या.	निवास	पता
श्रीमती स्वाति मीणा नायक, संचालक	100	2550909 2550910	9425816900	सी-1, प्रशासन अकादमी
श्रीमती राजपाल कौर, अपर संचालक	125	2550940	9425442601	
श्री आर.पी. रमनवाल, अपर संचालक	106	2577745	9425186818	
श्रीमती सीमा सिंह ठाकुर, अपर संचालक			9425448090	
श्री सुरेश सिंह तोमर, संयुक्त संचालक			9425361824	
श्रीमती प्रज्ञा अवस्थी, संयुक्त संचालक			7898018298	
श्री रविन्द्र सिंह रघुवंशी, संयुक्त संचालक			9425392553	
श्री आर.पी.सिंह संयुक्त संचालक	107	2550922	9425014384	एचआईजी-3 / 135, बागमुगालिया
सुश्री स्वर्णिमा शुक्ला, संयु. संचा,			9425051420	
श्रीमती तृप्ती त्रिपाठी, संयु. संचालक			9425394800	
श्री विशाल नाडकर्णी, संयुक्त संचालक			9425103731	
श्री व्ही.एन.एस. ठाकुर., वित्त सलाहकार	126	2550916	9425364739	

श्री संजय प्रताप सिंह, उप संचालक,			9424439925	
श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव, उप संचालक	103	2550940	9893900890	
श्रीमती सीमा रघुवंशी, उप संचालक			9926771356	
सुश्री नीलू भट्ट, उप संचालक			9340391912	
श्री जी.एस. रघुवंशी, सहा. संचालक	109		9425003592	13, गायत्री परिसर, श्रीराम कालोनी, होशंगाबाद रोड, भोपाल
श्री आनंद शिवहरे, सहायक संचालक	130	—	9425141509	
श्रीमती यज्ञा मेढा, सहायक संचालक			8305127766	
श्री मनोज अहिरवार, सहायक संचालक			9407370193	
श्री सुबोध गर्ग, सहायक संचालक			9407063877	
श्री राजेश अग्रवाल, सहायक संचालक			9425183662	
श्री राजीव खरे सहायक संचालक			9425824583	
श्री अनुराग जोशी, सहायक संचालक			9425739491	
श्री संतोष सिंह, सहायक संचालक			9424669045	
डॉ. राजेश पाटिल, सहायक संचालक			9424937800 9826443422	
श्री विकास गुप्ता, सहायक संचालक			9826754675	
श्री आशीष सिंह, सहायक संचालक			9425029845	
श्री प्रभातसिंह ठाकुर, सहायक संचालक			7879591964	
श्री मनीष मोहन अग्रवाल, सहायक संचालक			9424401019	
श्री जे.पी. सोनी, सहायक संचालक			9407820408	
सुश्री आकांक्षा मरावी, सहायक संचालक, महिला वसति गृह			9589222870	
श्री एन.पी. जोशी लेखाधिकारी			9826304892	
श्री राजीव श्रीधर जोशी, लेखाधिकारी			9752534592	
श्री विनोद युरकुरे, लेखाधिकारी			9755359489	
श्री सोएब खान, लेखाधिकारी			9893640195	

श्री हरीश माथुर, परियोजना अधिकारी			9893764423	
श्री अमय अग्निहोत्री , परियोजना अधिकारी			9407554265	
श्री मनोज झारिया, परियोजना अधिकारी			9926536728	
श्री पीयूष मेहता, परियोजना अधिकारी			9926535387	
श्रीमती राजश्री गोखले, परियोजना अधिकारी			9713000873	
श्री विशाल आनंद श्रीवास्तव परियोजना अधिकारी			9893095804	
श्रीमती सपना सोमानी, परियोजना अधिकारी			9425075115	
श्री मुकेश यादव, परियोजना अधिकारी			9981217927	
श्रीमती शिल्पा वर्मा, परियोजना अधिकारी			9669001121	

**बिंदु क्रमांक-10**  
**प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक प्रारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति**

संचालनालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान उनके मूल वेतन + ग्रेड पे पर शासन द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ते की गणना के आधार पर किया जाता है। अधिकारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि प्रतिवर्ष जुलाई माह में स्वीकृत की जाती है।

**बिंदु क्रमांक-11**  
**प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट**

<b>महिला एवं बाल विकास अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2020-21 के में योजनावार प्रावधान एवं व्यय की जानकारी</b>				
<b>राशि लाखों में</b>				
<b>Sr. No.</b>	<b>योजना कोड</b>	<b>योजना का नाम</b>	<b>Total Budget Estimate with supplementry &amp; Reappropriation</b>	<b>Total Expenditure</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	4.46	4.45
2	5643	आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	87041.28	86689.23
3	5508	महिला बाल विकास के भवनों का रख-रखाव	1.70	1.69
4	6442	अटल बाल आरोग्य मिशन	7.40	7.30
5	9041	महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय	12141.46	11736.39
6	9050	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	115695.94	110677.54
7	0658	आंगनवाडी सेवा योजना	117993.02	106844.89
8	5067	लाइली लक्ष्मी योजना	152579.52	136362.17
9	6392	किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना	768.40	669.65
10	6917	प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (आई.जी.एम.एस.वाई)	16760.84	14319.11
11	6103	समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)	6754.28	5495.59
12	5360	आंगनवाडी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण (राज्य आयोजना)	3776.02	3053.49
13	5060	बाल भवन की स्थापना	409.20	324.71
14	5827	बाल अधिकार संरक्षण आयोग	258.14	201.57
15	8681	राज्य महिला आयोग का गठन	300.53	234.22
16	1405	उदिता परियोजना	230.41	178.44
17	1291	आई.सी.डी.एस के सुदृढीकरण एवं पोषण स्तर सुधार की परियोजना (ईस्निप)/एम.एन.एम	6156.39	4759.57
18	0851	राष्ट्रीय झूलाघर योजना	100.00	72.49
19	1289	समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान	50.00	24.70
20	1326	स्वाधार गृह	250.00	121.62
21	3457	मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना	90.93	42.64
22	2375	सेफ सिटी कार्यक्रम	174.50	59.53
23	5033	वेश्यावृत्ति उन्मूलन योजना	50.01	16.71
24	5608	महिला विश्रामालाय भवन का निर्माण	500.00	100.00
25	0830	किशोर कल्याण बोर्ड का गठन	30.10	1.83
26	1071	महिला हेल्प लाईन 181	49.97	0.00
27	1327	वन स्टाप सेंटर	0.01	0.00
28	2367	महिला शक्ति केन्द्र	21.81	0.00
29	7300	स्व. श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0.00
30	7449	सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	0.01	0.00
31	7700	मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास योजना	0.10	0.00
32	8052	किशोर कल्याण निधि योजना	10.00	0.00

	<b>Grand Total</b>	<b>522206.42</b>	<b>481999.54</b>
--	--------------------	------------------	------------------

योजनाओं के बजट की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट

<http://www.esanchayika.mp.gov.in> पर प्रशासकीय प्रतिवेदन में उपलब्ध है

## अध्याय-12

### अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति सूचना के अधिकार अंतर्गत विभाग से संबंधित जानकारी

#### 1. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम अन्तर्गत समस्त नियोक्ता (षासकीय/आषासकीय) अथवा कार्य स्थल के प्रभार(सार्वजनिक/निजि/गैरसरकारी) का कर्तव्य है कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम करे तथा इस बारे में सभी अपेक्षित कदम उठा कर यौन उत्पीड़न के कृत्यों से जुडी समस्याओं का समाधान करे।

#### लैंगिक उत्पीड़न क्या है ? :-

- शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं या
- लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना या
- लैंगिक आभास वाली टिप्पणियां करना या
- अश्लील साहित्य दिखाना या
- लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय, शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना।

#### लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अन्य कृत्य :-

- अहितकारी व्यवहार, या धमकी या वर्तमान या भावी नियोजित को प्रभावित करने वाली स्थिति या कार्य में हस्तक्षेप या आपराधिक कृत्य या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण का सृजन करना या स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला अपमान जनक आचरण करना भी लैंगिक उत्पीड़न माना जायेगा।

#### कार्यस्थल क्या है ? :-

विभाग, शासकीय/अषासकीय संगठन, उपक्रम, उद्यम, उद्योग, बैंक, कारखाना, दुकान, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, सरकारी कंपनी, सोसायटी, अस्पताल नर्सिंग होम, उत्पादन, प्रदाय, विपणन केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, खेलकूद शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, कार्य के संबंध में यात्रा के दौरान, गृह (घरेलू कामकाजी महिला) निर्माण स्थल आदि।



**कहां करें शिकायत ? :-**

1. अपने कार्यालय (षासकीय/अषासकीय) में गठित आंतरिक समिति ।
2. जिला स्तर पर गठित स्थानीय समिति ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला- पंचायत ।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी-महिला एवं बाल विकास विभाग ।
5. सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग ।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, महिला एवं बाल विकास विभाग ।
7. भारत सरकार के ऑनलाईन कम्प्लेन्ट मैनेजमेंट सिस्टम **shebox.nic.in**

**आंतरिक समिति :-**

1. पीठासीन अधिकारी :-कार्यस्थल पर वरिष्ठ पद पर नियोजित महिला । कार्यस्थल पर वरिष्ठ महिला न होने पर उस कार्यस्थल की अन्य यूनिट या अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से भी नामांकित किया जा सकता है ।
2. कर्मचारियों में से दो सदस्य ऐसे होंगे जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं अथवा जिनके पास समाज सुधार के कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है ।
3. महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध लैंगिक उत्पीड़न संबंधित मुद्दों से परिचित गैर-सरकारी संगठनों से एक सदस्य नामांकित किया जायेगा ।
4. कुल नामांकित सदस्यों में से कम से कम आधी सदस्य महिलायें होंगी । (01 पुरुष होना अनिवार्य है)समिति के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों की नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगी । 3 वर्ष पश्चात समिति का पुर्नगठन

**स्थानीय समिति:-** कार्यस्थल पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी/अधिकारी नियोजित होने पर या घरेलू कामकाजी महिला या शिकायत नियोजक के खिलाफ होने पर प्रत्येक जिले में गठित स्थानीय समिति को शिकायत की जायेगी । स्थानीय समिति में महिला एवं बाल विकास के जिला अधिकारी पदेन सदस्य हैं ।

1. अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जायेगी,

2. एक सदस्य जो जिले में ब्लॉक, तालुक या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जायेगी,
  3. 01 महिला सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में नाम निर्दिष्ट की जायेगी या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित विवादों से सुपरिचित हो,
  4. 01 सदस्य विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान वाला,
  5. महिला एवं बाल विकास में संव्यवहार करने वाला संबंधित अधिकारी पदेन सदस्य होगा।
- उपरोक्त में से कम से कम एक अधिसूचित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों या अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी।

कार्यस्थल पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी/अधिकारी नियोजित होने पर या घरेलू कामकाजी महिला या शिकायत नियोजक के खिलाफ होने पर प्रत्येक जिले में गठित स्थानीय समिति को शिकायत की जायेगी।

## कानून के प्रावधान

प्रत्येक कार्यस्थल पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी/अधिकारी नियोजित होने पर आंतरिक समिति का गठन करना। गठित नहीं करने पर शास्ती का प्रावधान है।

प्रत्येक कार्यस्थल पर गठित समिति का बोर्ड लगाना

- 90 दिवस में जाँच पूरी की जाकर समिति की अनुषंसा पर 60 दिवस में नियोजक द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर जुर्माने का प्रावधान है।
- जाँच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला के अनुरोध पर समिति की सिफारिश पर स्थानांतरण या छुट्टी या अन्य राहत प्रदाय की जायेंगी।
- परिवाद की विषय वस्तु जांच एवं कार्यवाही का प्रकाशन या सार्वजनिक करन प्रतिशोध है। सार्वजनिक करने पर शस्ती का प्रावधान है।
- सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत सूचना नहीं दी जा सकती है।
- मिथ्या या द्वेषपूर्ण शिकायत, मिथ्या साक्ष्य, गवाह के लिए दण्ड के प्रावधान हैं।

## उपलब्धियां—

- **1 जिला अधिकारी—**सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2014 द्वारा म.प्र. के समस्त अपर कलेक्टर (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) को पदेन जिला अधिकारी अधिसूचित किया जा चुका है।  
अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु निम्न पत्र जारी किये गये।

1. समस्त विभागों को पत्र क्र.1052 दिनांक 13.12.2019,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला समस्त को पत्र क्र.118 दिनांक 19.2.2021
3. कलेक्टर, जिला समस्त को पत्र क्र.225 दिनांक 27.01.2021

**स्थानीय समिति** — कुल 51 जिलों में स्थानीय समिति का गठन किया जा चुका है।

**प्रचार—प्रसार—** अधिनियम के अधिनियम का व्यापक प्रचार—प्रसार किया जा रहा है।

## राज्य शासन की अनुदान योजनाएं :-

### महिला वसति गृह —

अपने गृह नगर से बाहर व्यवसाय या नौकरी करने वाली महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला वसति गृह स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में जिला इन्दौर में एवं भोपाल में वसति गृह संचालित है।

### राज्य स्तरीय पुरस्कार:-

राज्य शासन महिला बाल विकास द्वारा व्यक्तिगत/संस्थागत/ महिला को प्रोत्साहित करने हेतु समाज सेवा ,वीरता ,साहस के कार्य करने पर निम्नलिखित 05 राज्य स्तरीय पुरस्कार स्थापित किये गये हैं:-

क्र.	वर्ग	विवरण	पुरस्कार
1.	रानी अंबतिबाई वीरता पुरस्कार	महिला (वीरता हेतु )	राशि रु. 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र
2.	राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार	महिला (समाज सेवा)	राशि रु. 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र
3.	विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार	संस्था/व्यक्ति (समाज सेवा)	राशि रु. 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र
4.	मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार	पुरुष/महिला (नारी सम्मान की रक्षा हेतु )	राज्य स्तर पर 1.00 लाख जिला स्तर 50हजार, प्रशस्तिपत्र
5.	अरुणा शानबाग साहस पुरस्कार	महिला (महिला हिंसा के विरुद्ध वीरता पुरस्कार)	राशि रु. 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र
6.	राष्ट्रमाता पद्ममावती पुरस्कार	महिला (महिलाओं के सम्मान हेतु उल्लेखनीय कार्य हेतु पुरस्कार)	राशि रु. 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र

## स्वाधार आश्रयगृह योजना

कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाली महिलाओं को आश्रय ,पोषण ,वस्त्र स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहायता व अन्य आवश्यक सुविधाएँ, उपलब्ध कराते हुए उनके पुर्नवास की व्यवस्था हेतु भारत सरकार म.बा.वि द्वारा **स्वाधार गृह स्कीम** संचालित की जा रही है। इस योजना में निराश्रित, विधवायें, जेल से छूटी हुई महिला, कैदी प्राकृतिक विपदाओं, से निराश्रित हुई महिलाएँ अनैतिक व्यापार में लिप्त महिलाएँ ,हिंसा से पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएँ आदि आश्रयगृह में आवास सुविधा सहित पोषण एवं पुर्नवास का लाभ पाती हैं। इस योजना में जमीन, भवन निर्माण /किराया राशि गृह की व्यवस्था,परामर्श सेवा ,पुर्नवास हेतु आर्थिक गतिविधि एवं प्रशिक्षण के लिए राशि दिए जाने का प्रावधान है।

1. **16 जिलों में 17 स्वाधारगृह संचालित है। सूची संलग्न है।**  
**मध्य प्रदेश में संचालित कुल 17 स्वाधार गृहों की जानकारी**

क्र.	जिला	संस्था का नाम	मोबाईल न.	ई-मेल पता
1	उज्जैन	ह्यूमेन वेलफेयर सोसायटी 15, घटकपर मार्ग फ़ीगंज, उज्जैन	9926393777	human welfareujjain@ gmail .com
2	रीवा	निवेदिता कल्याण समिति निराला नगर रीवा	9893881618	nivedita kalyansamiti@yahoo.com
3	जबलपुर	परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस लाईन, जबलपुर	9425152003	anshumanshukla52003@gma il.com
4	बैतूल	ग्राम भारती महिला मंडल शोभापुर कालोनी,पाथाखेड़ा बैतूल	9926384220	gb.india@mail.com
5	छिंदवाड़ा	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ बेलगांव हनुमान मंदिर के पास।	9425785141	bajsssausar@gmail.com
6	राजगढ़	गोपाल महिला मंडल खुजनेर रोड मंडी के सामने,राजगढ़	9009543195	gmmjrajgrah@gmail.com
7	मंडला	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ महिला अल्पावास गृह,जीवाजी वार्ड महाराजपुर, मंडला	9926073898	bajssmandla@gmail.com
8	ग्वालियर	अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ एस.ए.एफ रोड कम्पू लशकर ग्वालियर	9826429113	akhilbhartiyagwl@gmail.com
9	छतरपुर	अशा. संस्था महिला समिति जिला - छतरपुर	9425304836	<a href="mailto:msneed9@yahoo.co.in">msneed9@yahoo.co.in</a>

10	भोपाल	चेरिटेबल वेलफेयर सोसायटी फॉर हयुमेन कार्डिन्ड एंड एनीमल लाला लाजपतराय सोसायटी ई-7 अरेरा कालोनी भोपाल	9406543115	neelamkaur10@gmail.com.
11	भोपाल	अशा. संस्था अनुसूचित जाति विकास एवं कल्याण समिति वार्ड 6 शाहजानाबाद रोड भोपाल	9425681385	mapscastdews@gmail.com
12	खंडवा	अशा.संस्था सोसायटी फॉर एजूकेशन एंड एन्वायरमेन्टल डेव्हलपमेन्ट (सीड) मॉ महिला आश्रयगृह खंडवा	9425927880	seed.india2003@gmail.com
13	होशंगाबाद	संस्था महादेव सुदंरम जन कल्याण शिक्षण समिति होशंगाबाद	9074125880	manish.itarsi@gmail.com
14	मुरैना	अशा. स्वयं सेवी संस्था महात्मा शिक्षा प्रसार समिति संतर न.5 सबलगढ़ जिला मुरैना	9425738935	msspsbl@gmail.com
15	धार	रेडक्रॉस सोसायटी जिला धार	07292-222249	-----
16	छतरपुर	अशा.निर्वाण फाउण्डेशन पृथ्वी भवन सिविल लाईन, नरसिंहगढ़ जिला छतरपुर	9165466466	info@nirvanafoundation.org
17	बालाघाट	अशा. संस्था प्रकृति महिला विकास केन्द्र जिला बालाघाट	8878821009	prakriti_bgtmp@rediffmail.com

### राजकीय महिला उद्धार गृह (इन्दौर)

उद्देश्य :	वैश्यावृत्ति में संलग्न महिलाओं को अन्य स्वरोजगार मूलक काम धंधों में लगाकर समाज में पुनर्प्रतिष्ठित करना ।
योजना का स्वरूप : और कार्यक्षेत्र	प्रिवेशन आफ इम्मारल ट्रेफिक एक्ट के तहत पकड़ी गई महिलाओं को न्यायालय के आदेश से इस गृह में भर्ती किया जाता है। उन्हें निःशुल्क परिपालन, शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। नर्स का प्रशिक्षण देकर, रोजगार स्थापित कराकर, नौकरी दिलाकर और विवाह कराकर सहायता की जाती है। महिला उद्धार गृह इन्दौर में संचालित है। महिला उद्धार गृह में अधिक से अधिक 50 महिलाएं निवास कर सकती है।
पात्र हितग्राही और चयन प्रक्रिया :	प्रिवेशन आफ इम्मारल ट्रेफिक एक्ट में वैश्यावृत्ति करते हुए पकड़ी गई महिलाएं ही हितग्राही होती है।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया :	महिला बाल विकास विभाग निर्देशानुसार राजकीय महिला उद्धार गृह अधीक्षिका के माध्यम से कलेक्टर परामर्शदात्री समिति केसलाह अनुसार योजना का क्रियान्वयन किया जाता है ।
संपर्क :	जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला बाल विकास अधिकारी एवं अधीक्षिका

## उषा किरण योजना

**उषा किरण योजना:**— घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006 के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा घरेलू हिंसा के प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु 453 संरक्षण अधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी/ब्लाक स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षक) नियुक्त किये गये हैं।

### प्रदेश में संचालित वन स्टॉप सेन्टर्स

वन स्टॉप सेन्टर योजना अंतर्गत समस्त प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता जैसे-पुलिस-सहायता, विधिक-सहायता, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा-सहायता एवं काउन्सलिंग की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में वन स्टॉप सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं।				
प्रदेश में संचालित वन स्टॉप सेन्टर्स				
क्र.	जिला	प्रशासक का नाम	Landline No.	पता
1	Aagar Malwa	सुश्री भावना बड़ोदिया	9399944391	ओ.बी.सी. बॉयज हास्टल के पास, मालीखेडी रोड, मालीखेडी तहसील, आगर मालवा पिन कोड-465441
2	Alirajpur	श्रीमति सुमित्रा खोडे	7394234461	जिला चिकित्सालय परिसर अलीराजपुर
3	Anuppur	श्रीमती सुमन शुक्ला	7659298101	जिला चिकित्सालय रूम नं. 23-25 तृतीय तल, अनूपपुर
4	Ashoknagar	श्रीमती सुशीला मणि मिंज	7543220065	ओम कालोनी, अशोकनगर
5	Balaghat	सुश्री रचना चौधरी	6262240299	मतस्य ऑफिस के सामने मोती गार्डन के पास, बालाघाट
6	Barwani	श्रीमती सुधा शिंदे	7290222171	महामृतुन्जय अस्पताल के पीछे, आनंद जिनिंग ग्राउंड अजब नांका, बड़वानी
7	Betul	सुश्री अनामिका तिवारी	7141234829	चन्द्रशेखर वार्ड इटारसी रोड, सदर, बैतूल
8	Bhind	श्रीमती मनीषा मिश्रा	7534234290	धनवन्तरी कॉम्प्लेक्स, बतासा बाजार, भिण्ड
9	Bhopal	श्रीमति योगिता मुकाती	7552575251	शासकीय जय प्रकाश अस्पताल परिसर, एस.बी.आई. बैंक के पास, 1250 तुलसी नगर, भोपाल
10	Burhanpur	श्रीमती रेखा भोंडवे	7325255500	नया चिकित्सालय, बहादुरपुर रोड जिला बुरहानपुर
11	Chhatarpur	डॉ प्राची सिंह चंदेल	7682244250	स्टेडियम के सामने, डॉ0 आभा खरे नर्सिंग होम, छतरपुर
12	Chhindwara	सुश्री राना परवीन खान	7162243291	वन स्टॉप सेन्टर सखी, जयसवाल भवन, लालबाग, छिंदवाड़ा
13	Damoh	श्रीमति पूना बाई	7812225128	केनरा बैंक के उपर, प्रथम तल, बस स्टैण्ड रोड, चर्च गेट के सामने, दमोह
14	Datia	श्रीमती संध्या श्रीवास्तव	7522235544	जिला चिकित्सालय परिसर, पुराना ओ.पी.डी. भवन, दतिया

15	Dewas	श्रीमती गीता ठाकुर	7272250126	वन स्टॉप सेन्टर सखी, महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय परिसर के पास, जिला देवास
16	Dhar	श्रीमती सरोज सिंह ठाकुर	7292234056	वन स्टॉप सेन्टर, भोज हास्पिटल परिसर सिविल सजन ऑफिस के पास जिला धार
17	Dindori	श्रीमती नीतू तिलगाम	7828195167	वार्ड नं. 11 रेस्ट हाउस के पीछे, आकांशा (रामसा) होस्टल के पास, डिण्डौरी
18	Guna	श्रीमति रेखा सक्सेना	7542292288	केन्ट थाने के पीछे, न्यू पुलिस लाईन, गुना
19	Gwalior	श्रीमती उर्मिला यादव	7512372961	जया आरोग्य चिकित्सालय परिसर, कम्पू ग्वालियर
20	Harda	श्रीमती सुचिता एकका	7577224817	भगवान होटल के पास, इन्दौर रोड, जिला हरदा
21	Hoshangabad	श्रीमती प्रतिभा बाजपेयी	7574252251	जिला न्यायालय के सामने, कोठी बाजार, होशंगाबाद
22	Indore	डॉ. वंचना सिंह परिहार	7314911804	वन स्टॉप सेन्टर (सखी केन्द्र) महिला एवं बाल विकास विभाग परिसर, राजकीय बाल संरक्षण आश्रय, अर्जुन प्याउ, मोराई मोहल्ला-छावनी, इन्दौर
23	Jabalpur	श्रीमति अनुराधा दीवान	7612422257	भू सर्वेक्षण ऑफिस के पास, संजीवनी नगर, जबलपुर
24	Jhabua	श्रीमती लीला परमार	7392244222	बाल संप्रेक्षण गृह परिसर, जिला न्यायालय के पीछे, झाबुआ
25	Katni	श्रीमती सुषमा नाग	7622220727	वन स्टॉप सेन्टर, माधव नगर, ए.सी.सी. रोड, जिला कटनी
26	Khandwa	श्रीमती सुनीति कनोजिया	7332243116	जिला चिकित्सालय परिसर, लेडीबटलर के पीछे जिला खण्डवा
27	Khargone	सुश्री सरस्वती सोनी	7282243919	99 गोखले कॉलोनी, शारदा अस्पताल के पीछे, खरगौन
28	Mandla	श्रीमती अमृता कुजूर	7642252699	रेडक्रास भवन, प्रथम तल, मण्डला
29	Mandsaur	श्रीमती धापू गोड़	7422221400	जिला अस्पताल परिसर, नूतन स्कूल के सामने, महू नीमच रोड, मंदसौर
30	Morena	श्रीमती अपूर्वा चौधरी	7532230021	मेला ग्राउण्ड के पीछे कमश्नर कॉलोनी, मुरैना
31	Narsinghpur	श्रीमती संध्या काले	7792231832	शंकराचार्य वार्ड सदर मढ़िया रोड, डॉ0 आशीष उपाध्याय क्लीनिक के सामने नरसिंहपुर
32	Neemuch	श्रीमति रोशन आरा सय्यद	7423257050	भारतीय रेडक्रास भवन, जिला चिकित्सालय के सामने, नीमच
33	Panna	श्रीमती रेखाबाला सक्सेना	7732250022	बादशाह साईद मजार के सामने, सिविल लाईन, पन्ना
34	Raisen	सुश्री सीमा पटेल	7482223101	वार्ड नं 4 गौरव गार्डन के सामने, कलेक्ट्रेड के पास, सांची रोड, रायसेन
35	Rajgarh	श्रीमती रश्मि चौहान	7372254360	जिला अस्पताल, पुराना ब्लड बैंक बिल्डिंग, राजगढ़
36	Ratlam	श्रीमती शकुंतला मिश्रा	7412263744	प्लॉट नं. 397 कालका माता मंदिर के पास, मित्र निवास, रोड, रतलाम
37	Rewa	श्रीमति मनोज शुक्ल	7662252913	वार्ड नं 44, कृष्णा नगर के पास, चिरहुआ मंदिर के पीछे, रीवा

38	Sagar	श्रीमती शिवानी सिंह सेंगर	7582237517	शासकीय जिला चिकित्सालय परिसर, तिली, सागर
39	Satna	श्रीमती मिथिला रिछारिया	767222611	कन्या धवारी स्कूल के पास, जवाहर नगर, सतना
40	Sehore	श्रीमती टिनी पांडे	7722977150	सिलाई केन्द्र के पीछे, जिला उद्योग परिसर, पुराना कलेक्ट्रेट रोड, सीहोर
41	Seoni	सुश्री ईशा बाल्मीक	9691000769	वन स्टॉप सेन्टर, जिला अस्पताल कैम्पस, बारापत्थर रोड, जिला सिवनी
42	Shahdol	श्रीमती सरोज सिंह	7652242870	वार्ड नं. 5, शोहागपुर, घड़ी रोड, कन्या स्कूल के सामने, शहडोल
43	Shajapur	सुश्री नेहा जायसवाल	7364228810	वार्ड नं. 3 गैस गोडाउन रोड, शाजापुर
44	Sheopur	श्रीमती हेमलता शर्मा	7530221212	जिला चिकित्सालय परिसर नर्स क्वार्टर के पास, शिवपुरी रोड, श्योपुर
45	Shivpuri	श्रीमती कंचन गौड़	7492221202	ऑगनवाड़ी ट्रेनिंग सेन्टर, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी
46	Sidhi	श्रीमती सरस्वती तिवारी	7822251144	कलेक्ट्रेट परिसर के सामने, सीधी
47	Singroli	श्रीमती शोभना	7805297408	एन.सी.एल. ग्राउन्ड (ट्रामा सेन्टर के पीछे) बिलौजी वैढन जिला सिंगरौली
48	Tikamgarh	श्रीमति हेमलता जैन	7683242960	प्रथम तल, जिला चिकित्सालय, राजेन्द्र अस्पताल, जिला टीकमगढ़
49	Ujjain	श्रीमति आभा शर्मा	7342530517	44 जूनियर एम.आई.जी. रिषी नगर, एक्सटेन्शन नियर मंगलम अपार्टमेंट, उज्जैन
50	Umaria	श्रीमति कंचन मरावी	7653292939	सगरा मंदिर के पास, उमरिया
51	Vidisha	श्रीमति कृतिका व्यास	7592233321	सिटी कोतवानी कैम्पस, विदिशा
52	Niwari	सुश्री प्रेरणा दांगी	8878131118	वार्ड नं 06, आजादपुरा, बाई पास रोड, निवाड़ी

## समेकित बाल संरक्षण योजना

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं नियम, 2016 का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष तक की आयु के विधि विवादित तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले जरूरतमंद बालकों का पारिवारिक पुनर्वास करना है। किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत प्रदेश स्तर पर कुल 115 शासकीय/अशासकीय संस्थाएं संचालित हैं उक्त संस्थाओं में निवारत बालकों की देखरेख और उनकी सुरक्षा किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है, ताकि बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाकर पारिवारिक पुनर्वास किया जा सके।



## योजना के मुख्य उद्देश्य

- अनिवार्य सेवाओं को संस्थागत बनाना और संरचना का सुदृढीकरण।
- किशोर न्याय अधिनियम का क्रियन्वयन।
- सभी स्तरों पर क्षमता बढ़ाना।
- बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डेटाबेस और ज्ञान आधार सृजन करना।
- परिवार एवं समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण का सुदृढीकरण।
- सभी स्तरों पर अन्तः क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना।

समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता/विधि का उल्लंघन करने वाले बालक बालिकाओं के लिये प्रदेश में 116 बाल देखरेख संस्थायें संचालित हैं।

<b>Integrated Child Protection Scheme Running CCIs LIST</b>					
<b>(Children's Home)</b>					
<b>No.</b>	<b>District</b>	<b>B/G</b>	<b>Name</b>	<b>Address</b>	<b>Phone no.</b>
1	BHOPAL	G	Govt. girls home	Kotra sultanabad, near police ground, bhopal	0755-2670156, 9425607519
2	BHOPAL	B/G	Missionery of charity	Nehru Nagar, Kotra sultanabad, bhopal	0755-2670425
3	BHOPAL	B/G	SOS Balgram	Piplani khajuri road, bhopal	0755-2727588 9826047065
4	BHOPAL	B/G	Bal nketan trust	Hamidiya road, bhopal	0755-2744367, 9826393447
5	BHOPAL	B/G	Nitya seva society	Chandbar bhahar, bhopal	0755-2646498,
6	BHOPAL	B/G (SN)	S.O.S. Balgram	Piplani khajuri road, bhopal	0755-2727588 9826047065
7	Betul	B/G	Abnejar Shiksha samiti	Motidhana shahpur, Betul	9993703263
8	Harda	B	Dadhyang Shikshan samiti	Shahid Deep singh ward near by maharshi vidhya mandir	7354631125
9	Ujjain	B	Govt.Children home (Boy)	Nagjhiri dewas road, Dewas	0734-2700291 9685104792, 9406660434
10	Ujjain	G	Govt.Children home (Girl)	Nagjhiri dewas road, Dewas	0734-2525532 9617217089
11	Ujjain	B/G	Sewadham ashram	Gram ambodiya, ujjain	9425092505,
12	mandsour	G	swadhyay manch	sitamau gate, mandsour	9424812010
13	Ratlam	B	Devprakash sewa sansthan	Post bari sarwan, Ratlam	07413-266128, 9425397208,
14	Rewa	B	Ramashiv bahuuddeshay samiti	Indira nagar, Rewa	7662250271

15	Jabalpur	B	Govt. Children home (Boy)	Gokulpur, Jabalpur	0761-2431295, 9425412001
16	Jabalpur	G	Rajkumari bai bal nikanan	Nepiyar town, jabalpur	0761-2407383 , 9827093106
17	Jabalpur	G	Ladli basera	Vijay nagar jabalpur	9685857140
18	Jabalpur	B/G (SN)	Missionary Of Charity	Mother teresa anand bhawan near Ghamapur Thana Kanch Nagar Jabalpur	0761-2620343
19	Jabalpur	B	Diosission Social jagrati centre	bhind senior railway institute near main railway station plat form no 01; south civil line jabalpur	8319420145 0761-2621053
20	Chhindwara	B	Janmangal sansthan	Chandan gaon, Chhindwara	9424377770
21	narshinghpur	B	prani mitra samiti	karakbel narshinghpur	9424643723
22	Mandla	B	Seema social welfare society	uday chowk, mandla	9425484731
23	Balaghat	B	prakriti mahila vikas kendra	vara seoni , balaghat	9406729350
24	Balaghat	G	Prabuddh vinayti kalyan samiti	Ward No.02 Asha Niwas ke pass bhatera choki Balaghat	6260449121
25	Katni	B	Ashakiran	Railway colony, katni	7389996464
26	Katni	G	Little star foundation	Jhanda bazar, katni	9753439555
27	Bhind	B	Gahoi Shiksha prashar samiti	Mihona, bhind	9893947226
28	Morena	B	Kranti kala sangam	Housing board, morena	9893477660
29	Gwalior	B	pragati mahila mandal	Near by IATS School Aditya puram Gwalior	9074076540
30	Datiya	G	Bankey Bihar Kunj Mahila Kalyan Samithi Datia	-----	-----
31	hosngabad	G	mahadev sundram	malveey ganj itarsi hosangabad	8982988424
32	hosngabad	B/G	Jeevoday society	Itarsi hosangabad	9752274929
33	Indore	B	shraddanand	Mahatma gandhi marg indore	9425909897
34	Indore	G	Bhartiy grameed sangh	rau, silver ox colony, indore	9826568459
35	Indore	B/G (SN)	yug purush dham	panchkuiya road, indore	9407138613
36	Burhanpur	B	Nepanagar jagriti	Matapur bazar, burhanpur	9425017920
37	Khandwa	B	Navjeevan chilren home	ganesh talai, khandwa	9424896571
38	Dhar	B	chhitu kirade smriti bahuuddeshiya Vikas sanstha	kuchhi dhar	9754194147
39	Sagar	B/G	Sagar mahila avam bal vikash samiti	Rajakheri makroniya, sagar	9977200686
40	Sagar	B	St. fransis Seva dham	Shyampura, sagar	8718805833

41	Sagar	G	kabeer manav sewadham	gram kudari baheriya, sagar	9977302018
42	Damoh	B/G	Central India chirstian Mission	marutal, damoh	9993165225
43	Chhatarpur	B	Mamta mahila mandal	Near hanuman mandir , chhatarpur	9425363703
44	Anuppur	B	Mamta mahila avam purush vikash koushal samiti	Jain Comlex ganj road anuppur	9425870830
45	MORENA	B	Vivekanand yuva mandal	Gandhi colony, morena	8349376355
46	INDORE	B	Sagar samajik vikas sanstha	javra compound, indore	98265—33661
47	KATNI	B	Shree shankar sarswati Shiksha prasar samiti	shastri colony, katni	9425772718
48	NARSHINGHPUR	B	Rajradha bahu uddeshiya mahila mandal	tilak ward, narshinghpur	9425468762
49	CHHATARPUR	B	chitragupt mahila kalyan samiti	chandla, chhatarpur	9893092257
50	TIKAMGARH	B/G	shreya manav kalyan samiti	post kari, tikamgarh	9993637149
51	NEEMUCH	B	bhartiya redcross society	Neemuch	9300905141
52	PANNA	B	chitragupt mahila kalyan samiti	Sichai colony purani bihad ke paas Panna	9559464071
53	SHAH DOL	B	SATGURU MISSION,	Banganga petrol pump ke peeche bypass rood shadol	8602543829
54	SIDHI	B	Arunoday sewa sansthan lakoda	gram padra jila sidhi	7389281955 9981447116

**(SPECIAL HOME)**

No.	District	B/G	Name	Address	Phone no.
1	INDORE	B	SPECIAL HOME	pardeshipura kalyan parisar, indore	9407168206
2	INDORE	G	SPECIAL HOME	pardeshipura kalyan parisar, indore	9098807773
3	SEONI	B	SPECIAL HOME	purani jail parisar, seoni	9407850004

**(Special Adoption Agency)**

No.	District	B/G	Name	Address	Phone no.
1	INDORE	B/G	RAJKIYA BAL SANRAKCHHAN	MURAI MOHALLA, INDORE	731553823
2	Vidisha	B/G	Vidisha Social Welfare Organization	Raghu Sadan Ramdwara Behind Collectorate Office Vidisha M.P	9752196564
3	Guna	B/G	MAA Swarup Ashram Guna	REDCROSS BHAVAN HOSPITAL CAMPUS GUNA 473001	9993014840
4	Indore	B/G	SEWA BHARTI Matriya Chhaya Indore	159 Chikitsak Nagar Near Bombay hospital Indore M.P	9826060546

5	Ujjain	B/G	SEWA BHARTI Ujjain	Matrachhya Sevabharti maksiroadFreeganjUjjain	9425093020
6	Gwalior	B/G	Sewa Bharti Gwalior	narayni 102 ganga vihar parisher near karolimata mandir gwalior	9827064886
7	Betul	B/G	Matruchhaya Betul	Gothi colony, chakkar Road, Betul	8602987945
8	sagar	B/G	st francis sevadham	shyampura sagar m.p	8718805833
9	gwalior	B/G	Pragati Mahila Mandal	19 vankhandeshwar nagar near mayur market thatipur, gwalior	9589787777
10	Jabalpur	B/G	SEWA BHARTI Jabalpur	45 Ekta Nagar Behind Ekta Tower M.R.4 Road Jabalpur 482002	9039404909
11	Indore	B/G	Sanjeevini Sewa Sangam Indore	54 Scheme Satya Sai Vidha Vihar Ke Peeche Indore M.P.	9977689894
12	Satna	B/G	SEWA BHARTI Satna	Deen Bandhu Sewa Samiti Bhawan Purushwani Mohalla Sindhi Camp Satna MP 485001	9425330646
13	Raisen	B/G	Naav Prabhat Samaj Kalyan Samithi Raisen	NH-12Behind Central Bank of India Goharganj Dist Raisen. MP	9329204055
14	Datia	B/G	Bankey Bihar Kunj Mahila Kalyan Samithi Datia	11Shanti villa Pitambra puri Datia	9425119459
15	Neemuch	B/G	Neemuch Kant, Neemuch	HIG 03 NEW INDRA NAGAR NEEMUCH	9425187878
16	Chhindwara	B/G	Social Care Navjagrati Mahila Mandal Chhindwara	BEHIND RAILWAY STATION TRILOKI NAGAR WARD NO. 19 CHHINDWARA P.O.BOX 480002	9752799114
17	Ashok Nagar	B/G	Om Maargdarshi Samithi Ashok Nagar	Behind Mahatma Bada Teacher Colony Ashok Nagar	9752032069
18	Chhatharpur	B/G	Rajyashree Samajuthan Samithi Chhatharpur	Rajay niwas sagar road chhatarpur	9981982984
19	Morena	B/G	Mr. Gohai Shiksha Prasar Samithi Morena	Mihona Branch Sanjay colony Morena	9826490526
20	Bhopal	B/G	Udaan Social Welfare Development Organization Bhopal	71 AMALTAS Phase II Chunabhatti bhopal	755242299

21	Narsinghpur	B/G	Srajan Mahila Mandal, Narsinghpur	Sarajan Vatsalya Shishu Greh Sarajan Mahila Mandal Narsinghpur Sankal Road Mushran Ward Narsinghpur	9424762920
22	SHAJAPUR	B/G	ABHIMAT JAAN VICHAR	ADEYAT NAGAR COLLONE OPP TELEPHONE TOWER ROAD SHAJAPUR DISST SHAJAPUR	9425458368
23	SHAHDOL	B/G	SATGURU MISSION,	BEHIND BANGANGA PETROL PUMP WARDnNO.12sSHAHDOL MP	9425331041
24	RAJGARH	B/G	GOPAL MAHILA MANDAL	KHUJNER ROAD MANDI KE SAMNE RAJGARH DISTT. RAJGARH BIOARA MP	9009543194
25	HOSHANGABAD	B/G	INDIRA MAHILA SHIKSHA PRASAR	ITI ROAD MINAKCHI CHOKE C/O GHANSYAM TIWARI KA MAKAN GINI COMPUDE HOSHAGABAD M.P	8269335576
26	TIKAMGRAH	B/G	SHIVKALI RUSIYA DHARMIK NAYAS,	TAAL DAARWAZARUSIYA NIWAS TIKAMGRAH	
27	DAMOHO	B/G	Bal Bhavan Aadharshila Sansthan Marutal	P.O. Marutal DAMOHO	9685309440
28	BHIND	B/G	Mr. BANKE BIHARI KUNJ BAHUUDESHIYA MAHIL KALYAN SAMITI BHIND	AT PO LAHAR DISTRICT BHIND MADHYA PRADESH	8109455678
29	SAGAR	B/G	SAGAR SEWABHARTI	SHIVAJI NAGAR, SAGAR	9425451339
30	BHOPAL	B/G	SEWA BHARTI MADHYA BHARAT MATRYA CHHAYA BHOPAL	MATRYYACHAYYA SWAMI RAM TIRATH NAGAR OPP. MAIDA MILL HOSHANGABAD ROAD BHOPAL-462011	8989016197
31	Katni	B/G	Sankar sarswati Shiksha samiti	makan No. 62 Mahavir Nagar Colony Jhinjriya Katni	9424961722

**(OPEN SHELTER Home)**

No.	District	B/G	Name	Address	Phone no.
1	RAISEN	B	Siyawas swablambi	Begamganj, raiseen	9893290043
2	BHOPAL	B	Lokutthan samiti	ayodhya extension, bhopal	8871119708
3	BHOPAL	B	Gyanpath Shiksha samiti	chhola road, bhopal	9826366176
4	INDORE	B/G	Lok biradri trust	Snehlata ganj, indore	9826011413

5	NARSHINGHPUR	B	Chirganiya Shikshan samiti	kandeli narshinghpur	9329737350
6	BALAGHAT	B	Prabuddh vinayti kalyan samiti	Motinagar balaghat	9423627813
7	SINGROLI	B	Redcross society	Redcross bloodbank, singrouli	8889469888
8	GWALIOR	B/G	Gwalior jan seva samiti	laskar gwalior	9300407075
9	MANDSOUR	B	Sanghosh sikchha samiti	sansjeetnaka mandsour	9685582641

**(OBSERVATION Home)**

No.	District	B/G	Name	Address	Phone no.
1	BHOPAL	B	OBSERVATION Home	CI COLONY JHAGEERABAD BHOPAL	0755-2559931 9977978090
2	VIDISHA	G	OBSERVATION Home	Gramin POLICE THANE KE SAMNE	07592-235769 7987156575
3	BETUL	B	OBSERVATION Home	HAMBALPUR BETUL	07141-230368 9425003451
4	MORENA	B	OBSERVATION Home	PIPALVANI MATA MANDIR MORENA	07532-234803 9977094310
5	GWALIOR	B	OBSERVATION Home	MAHAL GAON GWALIOR	0751-234609 9977440007
6	GUNA	B	OBSERVATION Home	SISODIYA COLONY GUNA	07542-268825 7509556436
7	INDORE	B	OBSERVATION Home	PARDESHI PURA INDORE	0731-2550670 9424009814
8	JHABUA	B	OBSERVATION Home	COLLECTRAT JHABUA	07392-244332 968504792
9	KHANDWA	B	OBSERVATION Home	RATAGARH KHANDWA	0733-2911001 9131625315
10	JABALPUR	B	OBSERVATION Home	GOKULPUR JABALPUR	0761-2331644 9713215203
11	NARSHINGHPUR	B	OBSERVATION Home	TILAK WARD	07792-232308 7999541361
12	SEONI	B	OBSERVATION Home	PURANI JAIL PARISHAR	07692-220254 9407850004
13	REWA	B	OBSERVATION Home	P.T.S. CHOURAHA	07662-230509 9039626856
14	SAGAR	B	OBSERVATION Home	CIVIL LINE SAGAR	07582-270534 7748817694
15	CHHATARPUR	B	OBSERVATION Home	NAJAR BAG CHHATARPUR	07682-248168 9752734957
16	SHAHDOL	G	OBSERVATION Home	NARMADA GAS AGENCY KE SAMNE	07652-248530 9425928666
17	UJJAIN	B	OBSERVATION Home	CENTRAL SCHOOL KE PICHE MALAN BASA	0734-2520219 9424591472
18	RATLAM	B	OBSERVATION Home	BIRIYA KHERI ROAD RATLAM	07412-264204 9827912308

## बिन्दु क्रमांक-13

अपने द्वारा मंजूर की गई रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण

--

## बिन्दु क्रमांक-14

इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाये

- विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी ई रिपोजेटरी [www.esanchayika.mp.gov.in](http://www.esanchayika.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।

## बिन्दु क्रमांक-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां- विभाग की विस्तृत जानकारी, आमजन (नागरिकों) हेतु विभाग की निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध है-

<http://www.mpwcd.nic.in>,

<http://www.mpwcdnic.gov.in>

<http://www.esanchayika.mp.gov.in>

## बिन्दु क्रमांक-16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक प्राधिकरण का नाम -संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, म0प्र0  
लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री आर. पी. सिंह	संयुक्त संचालक	075 5	2550928	942501438 4	255-0912	commwcd@.nic.in	संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, 28 ए, वात्सल्य भवन भोपल, म0प्र0

## सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव	उप संचालक	0755	—	989390 0890	255— 0912	comm wcd@ .nic.in	संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, 28 ए, वात्सल्य भवन भोपाल, म0प्र0

## विभागीय अपीलेंट अथोरिटी

क्र.	नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्रीमती राजपाल कौर	अपर संचालक	0755	255— 0940	9425 4426 01	255— 0912	comm wcd@ .nic.in	संचालनालय, महिला एवं बाल विकास 28 ए, वात्सल्य भवन भोपाल, म0प्र0

## क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु लोक सूचना अधिकारी की व्यवस्था

म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ज्ञाप क्रं-1(ए)32/2014/50-1 भोपाल दिनांक 16.09.2014 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है :-

क्रं	कार्यालय का स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	पृथम अपीलीय अधिकारी
1	संभाग स्तर	संभागीय संयुक्त संचालक	सहायक संचालक, संभागीय कार्यालय	संभागीय आयुक्त/अपर आयुक्त (राजस्व)
2	जिला स्तर	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सहायक संचालक, जिला कार्यालय	जिला कलेक्टर
3	जिला स्तर (ऑगनवाडी प्रशिक्षण केंद्र)	मुख्य निर्देशिका प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय सहायक (लिपिक)	जिला कार्यक्रम अधिकारी
4	विकास खण्ड/परियोजना स्तर	परियोजना अधिकारी	सांख्यिकीय अन्वेषक/कार्यालय सहायक (लिपिक)	जिला कार्यक्रम अधिकारी



## बिंदु क्रमांक-17

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

1. सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:—
  1. नाटक/नुक्कड़ नाटक एवं कलापथक दलों के माध्यम से।
  2. समाचार पत्रों में समय-समय पर विज्ञापनों/विज्ञप्तियों का प्रकाशन।
  3. विश्व स्तनपान सप्ताह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आदि के अवसरों पर जागरुकता गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन।
  4. सूचना पटल से
  5. विभागीय ई रिपोजेटरी [www.esanchayika.mp.gov.in](http://www.esanchayika.mp.gov.in) एवं अन्य विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
  6. सोशल मीडिया से व अन्य प्रचार प्रसार साधनों से विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी जाती है।

भारत शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया है। जिसे 16 जून 2005 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति उपरांत कानूनी दर्जा दिया गया है।

उक्त संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन नीतिगत निर्णय के अनुसार शासन के द्वारा किये जा रहे सभी कार्यों तथा निर्णयों में पारदर्शिता लाई जाने एवं आम व्यक्ति को इस पारदर्शिता के संबंध में निर्णयों के आधारों की जानकारी देने के उद्देश्य से अब महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इस परिपत्र में उल्लेखित निम्नलिखित विषयों से संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपियां एवं संबंधित अभिलेखों का अवलोकन, आवेदक के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् किया जा सकेगा। इसके लिये निर्धारित आवेदन/शुल्क जमा करने के पश्चात् अधिकतम तीस दिनों की समय-सीमा निर्धारित की जाती है। यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे निवासरत हितग्राहियों के द्वारा सूचना चाही जाने पर उन्हें तदनुसार प्रमाण प्रस्तुत करने पर निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित उप समिति के अनुसार सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी होगी:—

आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र-1 में वांछित जानकारी दिया जाना होगा। आवेदन देने पर उसे पावती प्राप्त होगी।

आवेदक को उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा यदि वह जानकारी डाक से प्राप्त करना चाहता है तो उसे रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित लिफाफा स्वयं का पता लिखा हुआ संलग्न करना होगा।

आवेदन पत्र विभाग/कार्यालय से संबंधित न होने की दशा में आवेदन पत्र को संबंधित विभाग/कार्यालय को अंतरित करते हुये आवेदक को सूचित करेगा। ऐसे अंतरित किये गये आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु समय सीमा उस दिनांक से प्रारंभ होगी जिस दिनांक को आवेदन पत्र संबंधित विभाग/कार्यालय को प्राप्त होगा। आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के उपरांत विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही हेतु तैयार निर्धारित समय सारणी अनुसार की जावेगी। आवेदन प्राप्ति की जानकारी निर्धारित पंजी में दर्ज की जावेगी। निराकरण होने पर अन्य पंजी में दर्ज की जायेगी कि सूचना प्रदाय की जा चुकी है या निराकृत हो चुका है। आवेदक को आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित लिखित में देना होगा। मौखिक आवेदन को लिखित में बदलने में राज्य लोक सूचना अधिकारी मदद करेगा। सूचना क्यों चाहिये इसका कारण देना आवश्यक नहीं है।

# समाप्त